

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260133  
SG-DL-E-10012025-260133असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 314
No. 2]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 314

### भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 2025

सं. 51/2023-राज्य कर

फा. सं. 03 (20)/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/04.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसाओं पर, एतद्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को और अधिक संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन नियमों को दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाए।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, ये दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (तत्पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 8 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (तत्पश्चात् इस अध्याय में “आवेदक” के रूप में संदर्भित), निम्न को छोड़कर—

- (i) कोई अनिवासी कर योग्य व्यक्ति;

(ii) धारा 51 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने हेतु अपेक्षित व्यक्ति है;

(iii) धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करने हेतु अपेक्षित व्यक्ति;

(iv) कोई व्यक्ति जो एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अन्तर्गत धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करता है या कोई व्यक्ति जो धारा 14क में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करता है।

पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले, सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 के भाग-क में या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना स्थायी खाता संख्या, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र घोषित करेगा :

बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक है, उसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकरण के लिए अलग से आवेदन करना होगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 14 में, —

(i) शीर्षक में, “ऑनलाइन प्राप्तकर्ता” शब्दों के पश्चात् “या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले व्यक्तिको” अक्षरों और शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) में, “ऑनलाइन प्राप्तकर्ता” शब्दों के पश्चात् “या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति” अक्षरों और शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा;

4. उक्त नियमों के नियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

**“31ख. ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्ति का मूल्य—**इस अध्याय में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति भी शामिल है, वह कुल राशि होगी जो खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को धन या धन के मूल्य के रूप में, जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, भुगतान की गई है या उन्हें देय है या जमा की गई है:

बशर्ते कि, आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को किसी भी कारण से लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि, जिसमें खिलाड़ी द्वारा किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता के पास भुगतान की गई या जमा की गई राशि का उपयोग न करना भी शामिल है, ऑनलाइन मनीगेमिंग की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

**31ग. कैसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य —** इस अध्याय में निहित किसी भी बात के बावजूद, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी—

(i) कैसीनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, का क्रय; अथवा

(ii) कैसिनो में खेल, योजना, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की आवश्यकता नहीं है।

बशर्ते कि टोकन, सिक्के, चिप्स या टिकट, जैसा भी मामला हो, या अन्यथा, की वापसी पर कैसीनो द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण.—**नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजनार्थ, खिलाड़ी द्वारा खेल, योजना, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि या प्रक्रिया सहित किसी भी प्रतियोगिता को जीतकर प्राप्त की गई कोई राशि, जिसका उपयोग उक्त खिलाड़ी द्वारा बिना नाम वापस लिए किसी अन्य कार्यक्रम में खेलने के लिए किया जाता है, उसे उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या उसके पास जमा की गई राशि नहीं माना जाएगा।”

5. उक्त नियमों के नियम 46 के खंड (च) के परंतुकमें, “बशर्ते कि” शब्दों के पश्चात् “ऑनलाइन मनीगेमिंग की आपूर्ति से जुड़े मामलों में या मामलों में” शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“64. ऑनलाइन सूचना और डाटा बेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों द्वारा और भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनीगेमिंग की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी जमा करने का प्रपत्र और तरीका—**प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को या तो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनीगेमिंग उपलब्ध कराके या भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा बेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं उपलब्ध कराके अथवा गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अलावा किसी पंजीकृत व्यक्ति को, कैलेंडर माह या उसके भाग के बाद आने वाले माह के बीसवें दिन या उससे पूर्व प्रपत्र जीएसटीआर-5क में विवरणी दाखिल करेगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (3) के दूसरे परंतुक में, “धारा 14” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 14,

या धारा 14क में यथानिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनीगेमिंग की आपूर्ति करता है" शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों के, प्रपत्र जीएसटी आरईजी-10 में, -

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुन प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन";

(ii) तालिका के, भाग क में, क्रम संख्या (पप) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

"(iiक)	आपूर्ति के प्रकार	(क) ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति (ख) ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुन प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) दोनों"
--------	-------------------	--

(iii) तालिका के, भाग ख में, -

(क) क्रम संख्या 2 और 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"2.	भारत में ऑनलाइन सेवा या ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक/माह/वर्ष
3	वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/एप्लिकेशन का नाम आदि के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल), जहां लागू हो, जिसके माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुन प्राप्ति सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं: 1. 2. 3."	

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"7	<p>घोषणा</p> <p>मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p>मैं, ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं पंजीयक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ। मैंकर योग्य क्षेत्र में स्थित गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुन प्राप्ति सेवाओं के मामले में) और/या कर योग्य क्षेत्र में स्थित प्राप्तकर्ता (ऑनलाइन मनीगेमिंग के मामले में) से देयता कर वसूलूंगा एवं एकत्रित करूंगा और उसे भारत सरकार के पास जमा करूंगा।</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p> <p>स्थान: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:</p> <p>दिनांक: पदनाम:"</p>
----	--

(iv) मद 2 के, अनुदेशों में, "धारा 14" शब्दों और अंको के पश्चात् "या धारा 14क, जैसा भी मामला हो" शब्दों और अंकों को सन्निविष्ट किया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, प्रपत्र जीएसटीआर-5क के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"प्रपत्र जीएसटीआर-5क**

(देखें नियम 64)

भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथापरिभाषित) और भारत में पंजीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्तियों के विवरण तथा भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्तियों के विवरण:

1. आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन-

2. (क) पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम -

(ख) व्यापारिक नाम, यदि कोई हो-

3. भारत में विवरणी दाखिल करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

4. अवधि: .....माह..... वर्ष

4(क) एआरएन:

4(ख) एआरएन की तिथि :

5. भारत में गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को की गई ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य बाहरी आपूर्ति

(राशि रुपये में)

आपूर्ति का स्थान (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5 क. भारत में गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य बाहरी आपूर्ति में संशोधन

(राशि रुपये में)

माह	आपूर्ति का स्थान (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

5ख. भारत में पंजीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य बाहरी आपूर्ति, गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, जिस पर कर का भुगतान रिवर्सचार्ज के आधार पर उक्त पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना है।

(राशि रुपये में)

जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2

5ग. भारत में पंजीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य बाहरी आपूर्ति में संशोधन, गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना है।

(राशि रुपये में)

माह	मूल	संशोधित	कर योग्य मूल्य
-----	-----	---------	----------------

	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	
1	2	3	4

5घ. भारत में किसी व्यक्ति को की गई ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति

(राशि रुपये में)

आपूर्ति का स्थान (राज्य/संघराज्य क्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5ड. भारत में किसी व्यक्ति को की गई ऑनलाइन मनीगेमिंग की आपूर्ति में संशोधन

(राशि रुपये में)

माह	आपूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज या किसीअन्य राशि की गणना

(राशि रुपये में)

क्रमांक	विवरण	आपूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	देय राशि (ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	कुल			

7. कर, ब्याज और देय एवं भुगतान की जाने वाली कोई अन्य राशि

(राशि रुपये में)

क्रमांक	विवरण	देय राशि		नामे प्रविष्टि संख्या	भुगतान की गई राशि	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर देयता ( तालिका 5, 5क, 5घ और 5ड पर आधारित)					
2.	ब्याज (तालिका 6					

	परआधारित)					
3.	अन्य (तालिका परआधारित)	6				

**सत्यापन**

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

दिनांक

पदनाम/पद

**टीपः**—मूल नियम दिनांक 22 जून, 2017 की संख्या फा. 3 (10)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-1/342 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV की धारा 3, की उपधारा (i) में प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 की संख्या फा. 3 (14)/वित्त (व्यय-1) 2024-25/डीएस-1/867 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV की धारा 3, की उपधारा (i) में प्रकाशित को अधिसूचना सं. 38/2023-राज्य कर के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव-I (व्यय)

**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2025

**No. 51/2023-State Tax**

**No. F. 3 (20)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/04.**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

**1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2023.

**2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—**

“(1) Every person who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant"), except—

(i) a non-resident taxable person;

(ii) a person required to deduct tax at source under section 51;

(iii) a person required to collect tax at source under section 52;

(iv) a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India referred to in section 14A under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017),

shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, State or Union territory in **Part A of FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

**Provided** that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.”

3. In the said rules, in rule 14, –

(i) in the heading, after the words “**online recipient**” the letters and words “**or to a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India**” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1), after the words “**online recipient**” the letters and words “or any person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India” shall be inserted.

4. In the said rules, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

**“31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.**– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money’s worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

**31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.**– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –

(i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or

(ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

*Explanation.*– For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player.”

5. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, after the words “Provided that” the words “in cases involving supply of online money gaming or in cases” shall be inserted.

6. In the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely: –

**“64. Form and manner of submission of return by persons providing online information and data base access or retrieval services and by persons supplying online money gaming from a place outside India to a person in India.**– Every registered person either providing online money gaming from a place outside India to a person in India, or providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to a registered person other than a non-taxable online recipient, shall file return in FORM GSTR-5A on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof.”

7. In the said rules, in rule 87, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words and figures “section 14”, the words, letters, brackets and figures “section 14, or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India as referred to in section 14A,” shall be substituted.

8. In the said rules, in FORM GST REG-10, –

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely—

**“Application for registration of person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India or for registration of person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient in India.”;**

(ii) in Part A, in the table, after serial number (ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“(ii a)	Type of supply	(a) Supply of online money gaming
		(b) Supply of online information and database access or retrieval services
		(c) Both (a) and (b) above”

(iii) in Part B, in the table, —

(a) for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

“2.	Date of commencement of the online service or online money gaming in India.	DD/MM/YYYY
3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website/platform/name of the application, etc, as applicable through which online money gaming or online information and database access or retrieval services are provided:  1. 2. 3.”	

(b) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“7	<p>Declaration</p> <p><i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i></p> <p><i>I, _ ..... hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-taxable online recipient located in taxable territory(in case of online information and database access or retrieval services) and/or from the recipient located in taxable territory (in case of online money gaming) and deposit the same with Government of India.</i></p> <p style="text-align: right;">Signature</p> <p>Place: <span style="float: right;">Name of Authorised Signatory:</span></p> <p>Date: <span style="float: right;">Designation:”</span></p>	
----	--	--

(iv) in the Instructions, in item 2, after the words and figures “section 14”, the words and figures “or section 14A, as the case may be,” shall be inserted.

9. In the said rules, for FORM GSTR-5A, the following form shall be substituted namely:—

#### “FORM GSTR-5A

[See rule 64]

**Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India and details of supplies of online money gaming by a person located outside India to a person in India**

1. GSTIN of the supplier-
2. (a) Legal name of the registered person -  
(b) Trade name, if any -
3. Name of the Authorised representative in India filing the return –
4. Period: Month - \_\_\_\_\_ Year –
- 4(a) ARN:
- 4(b) Date of ARN:
5. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to non-taxable



online recipient in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5A. Amendments to taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services to non-taxable online recipient in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

5B. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

<i>GSTIN</i>	<i>Taxable Value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>

5C. Amendments to the taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

<i>Month</i>	<i>Original GSTIN</i>	<i>Revised GSTIN</i>	<i>Taxable value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

5D. Supplies of online money gaming made to a person in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5E. Amendments to supplies of online money gaming made to a person in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess

	(State/UT)				
1	2	3	4	5	6

## 6. Calculation of interest, or any other amount

(Amount in Rupees)

Sr. No	Description	Place of supply(State/UT)	Amount due (Interest/ Other)	
			Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5
1.	Interest			
2.	Others			
	Total			

## 7. Tax, interest, and any other amount payable and paid

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Description	Amount payable		Debit entry no.	Amount paid	
		Integrated Tax	Cess		Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5, 5A, 5D and 5E)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (based on Table 6)					

## Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature

Place

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status"

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-I/342, dated 22<sup>nd</sup> June, 2017 and were last amended vide notification No. 38/2023 – State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (14)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/867, dated 10<sup>th</sup> October, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. I (Exp.)